संख्या:14/2022/238/1363565/12-2099/86/21

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 मार्च, 2022

विषय: प्रदेश में समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरकों का स्टाक एवं बफर गोदाम/बिक्री केन्द्रो पर उपलब्ध भौतिक स्टाक का शत-प्रतिशत सत्यापन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या:22/2021/1363565/12-2099/86/2021, दिनांक 25 मई, 2021 तथा शासनादेश संख्या: 24/2012-2-2022-एफ.-42/2001, दिनांक 05 जनवरी, 2021 द्वारा रियल टाइम एक्नालेजमेन्ट एवं पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से शत-प्रतिशत उर्वरकों की बिक्री किए जाने के कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

2. अतएव, उर्वरक विक्रेताओं द्वारा पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से की गई उर्वरकों की बिक्री को सत्यापित करने हेतु सतत अनुश्रवण एवं प्रवर्तन आवश्यक है। उक्त प्रक्रिया का विचलन कर बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त उर्वरक बफर गोदामों/थोक उर्वरक बिक्री गोदामों/फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक का शत-प्रतिशत सत्यापन आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरकों के सम्भार के आधार पर दिनांक 15 मार्च, 2022 से 25 मार्च, 2022 के मध्य कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(i) उर्वरकों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन dbtfert.nic.in के mFMS पोर्टल पर सत्यापन की तिथि को वेयर हउस/थोक विक्रेता/फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रवार प्रदर्शित होने वाले स्टॉक की मात्रा के सापेक्ष ही अनिवार्य रूप से किया जाए।

(ii) जिला कृषि अधिकारी के द्वारा आई.एफ.एम.एस. पोर्टल से बफर/थोक गोदाम एवं फुटकर बिक्री केन्द्रवार उपलब्ध उर्वरकों के सम्भार की सूची का प्रिन्ट आउट सत्यापन की तिथि को सत्यापनकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

(iii) सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के कम्पनी वेयर हाउस/गोदामों एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं के गोदामों का शत-प्रतिशत सत्यापन करने हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन से तीन सदस्यीय टीम गठित की जाए, जिसमें जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारी सम्मिलित होंगे। टीम के द्वारा आई.एफ.एम.एस. पोर्टल पर प्रदर्शित स्टाक के सापेक्ष शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए।

(iv) फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर उपलब्ध स्टाक का आई.एफ.एम.एस. पोर्टल/पी.ओ.एस. मशीन में प्रदर्शित स्टाक के अनुसार शत-प्रतिशत सत्यापन कराने हेतु कृषि, सहकारिता एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए।

http://shasanadesh.up.gov.in

(v) यदि किसी बफर/थोक गोदाम एवं बिक्री केन्द्र पर आई.एफ.एम.एस. पोर्टल मे प्रदर्शित सम्भार तथा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध भौतिक सम्भार में भिन्नता या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्बन्धित उर्वरक बिक्रेता के विरूद्ध जांचोपरान्त उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(vi) आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में प्रदर्शित उर्वरक सम्भार के आधार पर उपरोक्तानुसार भौतिक सत्यापन दिनांक 15 मार्च, 2022 से दिनांक 25 मार्च, 2022 की अवधि में कराते हुए बफर गोदामों/थोक उर्वरक विक्रेताओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रारूप-ए (भाग-1 एवं भाग-2) तथा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की सत्यापन से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रपत्र-बी (भाग-1 एवं भाग-2) पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश (उर्वरक अनुभाग) को दिनांक 27 मार्च, 2022 तक अवश्य उपलब्ध कराई जाए।

4. यह भी सुनिश्चित करें कि सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार आई. एफ.एम.एस. पोर्टल पर प्रदर्शित उर्वरक सम्भार और बफर गोदाम तथा थोक एवं फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध भौतिक सम्भार का वास्तविक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए।

5. सत्यापन का कार्य सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में यदि सत्यापन में कोई अनियमितता या त्रुटि प्रकाश में आती है तो सत्यापनकर्ता अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

कृपया तदनुसार उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:14/2022/238/1363565(1)/12-2099/86/21 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पी.सी.एफ., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. **समस्त जिला कृषि अधिकारी,** उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://bharanadesh.up.gov.in